

अंचल अधिकारी रिकॉर्ड का कार्यालय  
अभिलेख वाद संख्या- 400/11-12

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिन्य 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुख्यमंत्री, निदेशक, भू-आर्जन-सह-विशेष समिय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र। संख्या-3-खा०म०गोनिति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमज़लआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच को इसमें हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अोनिट्सारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-मैजा थाना-मिर्कपुर संख्या-133- प्लॉट संख्या-1258, रक्षा-05, एकड़ की भूमि जो गैरमज़लआ खास, अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या-15 के पृष्ठ संख्या-689, पर जमाबंदी ऐत मुक्ति-50पैसे के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी दिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोइकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जगीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी ऐत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-16/8/16 को उपरस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

रिकॉर्ड  
अंचल अधिकारी

17.11.20

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निवेश एवं विभागीय पत्र संख्या—1704 / रा० दिनांक—15.07.2020 के आलोक में पूर्ण राशीका कर अभिलेख का निरसारण करने का निवेश प्राप्त है। उक्त निवेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार ऐयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस विर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक—17.11.20 को उपस्थापित करें।

अभिलेख अधिकारी,  
सिरसा।

17.11.20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमबांदीदार ऐयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निवेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक—5.12.20 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
सिरसा।

5.12.20

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1704 / रा०, दिनांक—15.07.2020 में वर्गित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा—.....

क्षेत्र—मौजा नं—251, साबिक खाता सं—133, साबिक प्लॉट सं—1258, रकवा—००५८० जिसका हाल खाता सं—373 हाल

प्लॉट सं- 1760 रक्षा- 005 गत सर्वे खतियान  
 एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार ~~शुभेश्वर पाण्डेय~~ के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या- 689 को रद करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या- 689 को रद करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर रामाहर्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी  
निरसा।